

**बिहार सरकार  
परिवहन विभाग**

आदेश संख्या-06/विविध (पत्राचार)-17/2017 5685 पटना, दिनांक- 14.11.17

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में वैसे प्रदूषण जाँच केन्द्रों जो नियमों के विरुद्ध कार्रवाई अथवा अवहेलना कर रहे हों कि विरुद्ध दण्ड का निर्धारण हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जाता है-

1. अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. सयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना - सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी पटना - सदस्य

यह समिति राज्य परिवहन आयुक्त को अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5685

पटना, दिनांक- 14.11.17

प्रतिलिपि- अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।